विधेयक संख्या (05) 2013

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

दि.वि.स.

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पुरःस्थापित किया गया)

पी.एन. मिश्र

दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली

2013 की विधेयक संख्या 05

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 में संशोधन के लिये

एक

विधेयक

तीय गणराज्य के 64वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में निम्नानुसार अधिनियमित या जाये–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– (1) यह अधिनियम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

धारा 3 का संशोधन :– दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 की धारा 3 की उपधारा (4) में,

खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iv) उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रत्येक में से एक सदस्य संबंधित मेयर द्वारा नामित किया जायेगा।";

खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(vi) निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पदेन।"

वि.स.

(अरविंदर सिंह)
मंत्री, शहरी विकास